GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO: 16

ANSWERED ON- 20.07.2021

INCOME TAX EXEMPTION FOR COVID-19 TREATMENT

***16. SHRI SANJAY SETH:**

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government has decided to provide income-tax exemption to the amount received by a taxpayer for medical treatment from an employer or from any person for treatment of COVID-19 during financial year 2019-20 and subsequent years and, if so, the details thereof and the aims and objective behind the move; and

(b) whether Government has also extended some key tax compliance deadlines due to impact of COVID-19 pandemic and, if so, the details thereof?

ANSWER

FINANCE MINISTER
(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN)

(a) & (b): A statement is laid on the table of the House.

****

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

Statement referred to in the reply to the Rajya Sabha Starred Question No. 16 raised by Sh. Sanjay Seth regarding "Income tax exemption for COVID-19 treatment"

(a) Yes Sir, the Government has decided to provide income-tax exemption to the amount received by a taxpayer for medical treatment from an employer or from any person for treatment of COVID-19 during financial year 2019-20 and subsequent years. The aim of this exemption is to provide relief to taxpayers who suffered on account of COVID-19 and had to incur expenditure for medical treatment of COVID-19 after taking help from employer or any person.

(b) Yes Sir, the Government has extended various key tax compliance deadlines under both direct taxes and indirect taxes due to impact of COVID-19 pandemic. The details of these extended timelines is provided at Annexure.

****

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

Annexure referred to in reply to part (b) of Rajya Sabha Starred Question No. 16 raised by Sh. Sanjay Seth regarding "Income tax exemption for COVID-19 treatment"

1. Extension of various key tax compliance under Direct Taxes:

The Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Act, 2020 (hereinafter referred to as "TOLA") was enacted to ease the compliance requirement of taxpayers under the specified Acts mentioned in the TOLA. Further, *vide* various notifications, the time period of compliance was further extended. Time limit has also been extended through various circulars. The combined effect of TOLA and the said notifications/circulars are as under:

(i) Various time limits for compliances and statutory actions under the taxation laws, other related legislations and the rules or notifications prescribed/ issued under these Acts were extended;

(ii) Due date for filing of ITR for Financial Year 2019-20 (relevant to Assessment Year 2020-21) was extended to 10th January, 2021 for non-auditable cases and non-company cases. For auditable cases, company cases and cases having international transactions, the due date was extended to 15th February, 2021. Due date for furnishing of tax audit report was also extended from 30th September, 2020 to 15th January, 2021.

(iii) The time for filing income-tax returns for Financial Year 2018-19 (relevant to Assessment Year 2019-20) was extended to 30th November, 2020;

(iv) Date of assessments getting barred on 30th September, has been extended to 30th Sept 2021.

(v) Extension of date for filing declaration under the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 [enacted for resolution of pending disputes related to the Act] was extended to 31 March 2021. Further, the due date of payment without any additional amount has been extended to 30th August 2021.

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

(vi) The date for payment of self-assessment tax in case of taxpayers whose self-assessment tax liability is up to Rs. 1 Lakh was extended to 10th January, 2021 (for non-auditable cases and non-company cases) and to 15th February, 2021 (for cases where tax audit is mandatory and company/international transaction cases).

(vii) The date for making various investment/payment for claiming deduction under Chapter VIA-B of the Income-tax Act (hereinafter referred to as "the Act") was extended to 31st July, 2020.

(viii) The date for making investment/construction/purchase/deduction in respect of capital gains under section 54 to 54GB of the Act for period between 20th March 2020 and 29th September was extended to 30th September, 2020.

(ix) The date for commencement of operation for the SEZ units for claiming deduction under section 10AA of the Act was extended to 30th September, 2020 for the units which have received necessary approval by 31st March, 2020.

(x) The time limit for furnishing of TDS/TCS statements and issuance of TDS/TCS certificates in relation to FY 2019-20 was extended to 31st July, 2020 and 15th August, 2020 respectively.

(xi) The date for passing of order or issuance of notice by the authorities and various compliances under various direct taxes and Benami Law was extended to 31st March, 2021.

(xii) The date for linking of Aadhaar with PAN has been extended to 30th September, 2021.

(xiii) Implementation of new procedure for approval/ registration/ notification of certain entities u/s 10(23C), 12AA, 35 and 80G of the Act was deferred from 01.06.2020 to 01.04.2021 and the last date of filing application has been extended to 31st August 2021.

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

(xiv) Applicability of clause 30C and clause 44 in respect to reporting of GAAR compliance and GST in Form 3CD of the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as "the Rules") has been extended till 31.03.2022.

(xv) The time limit for filing appeal before the Commissioner (Appeals) under Chapter XX of the Act which was required to be filed by 01.04.2021 or thereafter was extended to 31.05.2021 or within the time provided under the relevant section, whichever is later.

(xvi) The time limit for filing objection to Dispute Resolution Panel (DRP) under Section 144C of the Act, for which the last date of filing under that section was 1" April 2021 or thereafter, was extended to 31st May 2021 or within the time provided under that section, whichever is later.

(xvii) The time limit for furnishing Income-tax return in response to notice under section 148 of the Act, for which the last date under the said notice is 01.04.2021 or thereafter, was extended to 31st May 2021 or within the time allowed under that notice, whichever is later.

(xviii) The due date for furnishing belated/ revised returns for AY 2020-21 which was required to be furnished by 31.03.2021 under sub-section (4)/sub-section (5) of section 139 of the Act, was extended to 31.05.2021.

(xix) The time limit for payment of TDS under section 194-IA (consideration for immovable property), section 194-IB (rental income) and section 194M (payment to contractors) of the Act and filing of challan-cum-statement for such tax deducted, which were required to be paid and furnished by 30.04.2021 under rule 30 of the Income-tax Rules, 1962 (the Rules), was extended to 31st May 2021.

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

(xx)The time limit for furnishing statement in form No. 61, containing particulars of declarations received in form No.60 (person not having PAN who enters into a transaction requiring quoting of PAN), which was required to be furnished by 30.04.2021 was extended to 31.05.2021.

(xxi)The time limit for furnishing of Statement of Financial Transactions (SFT) for the FY 2020-21, which was required to be furnished by 31.05 2021 under rule 114E of the Rules and various notifications issued thereunder, was extended to 30.06.2021.

(xxii)The time limit for furnishing the Statement of Reportable Account for the calendar year 2020, which was required to be furnished by 31.05.2021 under rule 114G of the Rules, was extended to 30.06.2021.

(xxiii)The TDS/TCS Book Adjustment Statement in form No 24G for the month of May 2021, which was required to be furnished by 15.06.20221 under rule 30 and rule 37CA of the Rules, was extended to 30.06.2021.

(xxiv)The time limit for sending the statement of TDS from contributions paid by the trustees of an approved superannuation fund for the FY 2020-21, which was required to be sent by 31.05.2021 under rule 33 of the Rules, was extended to 30.06.2021.

(xxv)The due date of furnishing the ITRs for the Financial Year 2020-21 (relevant to the Assessment Year 2021-22) which were required to be furnished under sub-section (1) of section 139 of the Act by:

- 31.07.2021 has been extended to 30.09.2021
- 31.10.2021 has been extended to 30.11.2021
- 30.11.2021 has been extended to 31.12.2021

Consequential relief also provided in payment of self-assessment tax by the extended date, if the amount payable is one lakh rupees or less.

(xxvi) The due date for furnishing belated/ revised returns for the Financial Year 2020-21 (relevant to the Assessment Year 2021-22) which were required to be furnished by 31.12.2021 under sub-section (4)/sub-section (5) of section 139 of the Act, has been extended to 31.03.2022.

(xxvii)The due date of furnishing of Report of Audit under any provision of the Act for the Financial Year 2020-21, and which was required to be done by 30.09.2021 has been extended to 31.10.2021.

(xxviii)The due date of furnishing Report from an Accountant by persons entering into international transaction or specified domestic transaction under section 92E of the Act for the Financial Year 2020-21, which was required to be done by 31.10. 2021, has been extended to 30.11. 2021.

(xxix)The time period for filing objections to DRP and Assessing Officer under section 144C of the Act, the last date for which was 01.06.2021 or thereafter, has been extended to 31.08.2021 or the date provided under the said section whichever is later.

(xxx)The time limit for furnishing the TDS Statement for the last quarter of the Financial Year 2020-21, which was required to be furnished by 31.05.2021 under rule 31A of the Rules, was extended to 15.07.2021

(xxxi)The time limit for furnishing the TDS certificate in form No.16 to the employee under rule 31 of the Rules which is required to be done by 15.06.2021, has been extended to 31.07.2021.

(xxxii)The time limit for furnishing the statement of income paid or credited by an investment fund to its unit holder, in form No. 64D for the FY 2020-21, which was required to be furnished by 15.06.2021 under Rule 12CB of the Rules, was extended to 15.07.2021.

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

(xxxiii)The time limit for furnishing the statement of income paid or credited by an investment fund to its unit holder in form No. 64C for the Financial Year 2020-21, which was required to be furnished by 30.06.2021 under rule 12CB of the Rules, has been extended to 31.07.2021.

(xxxiv)The date for compliances to be made by the taxpayers for investment, deposit, payment, acquisition, purchase, construction etc , for the purpose of claiming exemption on capital gains under section 54 to 54GB of the Act, for which the last date is between 01.04.2021 to 29.09.2021 (both days inclusive), has been extended to 30.09.2021.

(xxxv)The time limit of furnishing the Quarterly Statement in form No. 15CC by authorized dealer in respect of remittances made for the quarter ending on 30.06.2021, which was required to be furnished by 15.07.2021 under rule 37 BB of the Rules, has been extended to 31st July, 2021.

(xxxvi)The time limit for furnishing the Equalization Levy Statement in form No. 1 for the Financial Year 2020- 21, which was required to be filed on or before 30.06.2021, has been extended to 31.07.2021.

(xxxvii)The time limit for furnishing the annual statement under sub-section (5) of section 9A of the Act by the eligible investment fund in form No. 3CEK for the Financial Year 2020-21, which was required to be filed by 29.06.2021, has been extended to 31.07.2021.

(xxxviii)The time limit for uploading of the declarations for non-deduction of TDS received from recipients in form No. 15G/15H during the quarter ending 30.06.2021, which was required to be uploaded by 15.07.2021, has been extended to 31.08.2021.

(xxxix)The time limit for exercising of option to withdraw pending application filed before the erstwhile Income Tax Settlement Commission under sub-section (1) of section 245M of the Act in form No. 34BB, which was required to be exercised by 27.06.2021 has been extended to 31.07.2021.

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

(xl) Time Limit for passing penalty order has been extended to 30.09.2021.

(xli) Time limit for issuance of notice under section 148 of the Act which was required to be issued by 31.03.2021 was extended to 30.06.2021.

(xlii) Time limit for passing of orders by assessing officer consequent to receipt of directions from DRP which were required to be passed by 31.03.2021 was extended to 30.06.2021.

(xliii) Time Limit for processing Equalisation Levy returns has been extended to 30.09.2021.

(xliv) Time limit for passing or orders and issuance of notice by the Adjudicating Authority under the Prohibition of Benami Property Transaction Act, 1988 which was required to be passed/issued by 30.06.2021 has been extended to 30.09.2021.

(xlv) Circular was issued to the effect that in case if a person has submitted valid Forms 15G and 15H to the banks or other institutions for FY 2019-20, then these form 15G and 15H will be valid up to June 30, 2020, for FY 2020-21 also.

2. Extension of various key tax compliance under indirect taxes:

(I) Following measures have been taken in view of COVID-19 pandemic in the year 2020: -

(i) In regard to composition scheme, -

a) Due date for furnishing FORM GSTR-4 for FY 2019-20 was extended till 31.10.2020.);
b) Due date for payment of tax in FORM CMP-08 for last quarter of FY 2019-20 was extended till 07.07.2020;
c) Composition scheme for FY 2020-21 could be opted till 30.06.2020.

(ii). 10% cap on availment of Input Tax Credit in FORM GSTR-3B in terms of the provision of Rule 36(4) of CGST Rules, 2017 to be made applicable on cumulative basis for period of February to August, 2020 instead of on monthly basis.

(iii). Conditional waiver of late fees for delayed furnishing of FORM GSTR-3B for the taxpayers if return furnished till the specified dates for the tax periods Feb 2020 to April 2020 for taxpayers with turnover of more than 5 crores (Feb 2020 to July 2020- for taxpayers with turnover up to 5 crores).

(iv) Further, the amount of late fee payable has been capped at Rs. 500/- for each return for the tax period from February, 2020 to July, 2020, if such returns are furnished by 30th September, 2020. The late fee is NIL if the tax liability is zero.

(v) Measures related to Interest on delayed payment of tax:

(a) For taxpayers with turnover above Rs. 5 crores in the preceding FY, for FORM GSTR-3B for the months from February, 2020 to April, 2020, there would be no interest for first fifteen days after the due date and thereafter at 9% p.a. till 24.06.2020.
(b) For taxpayers with turnover of up to Rs. 5 crores in the preceding FY, for FORM GSTR-3B for the months from February, 2020 to July, 2020, there would be no interest till specified dates and thereafter at 9% p.a. till 30.09.2020.

(vi) Late fees for FORM GSTR-1 were waived for tax periods March 2020 to June 2020 and Quarter Jan to Mar 2020 and Apr to Jun 2020, if such statement is furnished by specified dates.

(vii) Extension of due date for FORM GSTR-3B :
(a) For month of May, 2020 to specified date for all taxpayers.
(b) For month of August, 2020 for taxpayers having turnover of up to Rs. 5 crores.

(viii) An enabling section 168A was inserted in the CGST Act, 2017 to empower the government to extend the due date in case of force-majeure event. Notifications have been issued using the said power, to extend the due date for compliance for almost all the provisions of Act. For almost all the provisions of Act, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, under the CGST Act, which falls during the period from the 20.03.2020 to the 30.08.2020, was extended up to the 31.08.2020.

(ix) Validity of e-way bills was extended till 30.04.2020 for those expiring between period 20.03.2020 to 15.04.2020. Further, validity of e-way bills was extended till 30.06.2020 for those expiring on or after 20.03.2020 and generated on or before 24.03.2020. Provision for blocking of e-way bill for non-filing of two or more GSTR-3B was suspended from 20.03.2020 to 15.10.2020.

(x) Time limit for completion or compliance of any action in respect of goods being sent or taken out of India on approval for sale or return for which such compliance falls during the period from the 20.03.2020 to the 30.10.2020 was extended till 31.10.2020.

(xi)Time limit for completion or compliance of any action in respect of Section 171 (NAPA provisions) for which such compliance falls during the period from the 20.03.2020 to the 30.03.2021 was extended till 31.03.2021.

(xii)The facility of verifying returns (FORM GSTR-3B) through Electronic Verification Code**,** instead of Digital Signature Certificate, was provided during the period 21.04.2020 to 30.09.2020 in respect of the companies registered under Companies Act, 2013. Similarly, they could file the statement of outward supplies (FORM GSTR-1) during the period from the 27.05.2020 to 30.09.2020 verified through electronic verification code (EVC).

(II) Following measures have been taken in view of the outbreak of the second wave of COVID-19 pandemic in the year 2021**: -**

(i). Concessional rates of interest in lieu of the normal rate of interest of 18% per annum for delayed tax payments have been prescribed as follows:

a. For registered persons having aggregate turnover above Rs. 5 Crore: A lower rate of interest of 9 per cent for the first 15 days from the due date of payment of tax and 18 per cent thereafter, for the tax payable for tax periods March 2021, April 2021 and May 2021 payable in April 2021, May 2021 and June 2021 respectively, has been notified.

b. For registered persons having aggregate turnover upto Rs. 5 Crore (for both normal taxpayers and those under QRMP scheme)**:**

i. Nil rate of interest for the first 15 days from the due date of payment of tax, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter, for the tax payable for the period March 2021 has been notified.

ii. Nil rate of interest for the first 15 days from the due date of payment of tax, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter, for the tax payable for the period April 2021 has been notified.

iii. Nil rate of interest for the first 15 days from the due date of payment of tax, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter, for the tax payable for the period May 2021 has been notified.

c. For registered persons who have opted to pay tax under the Composition scheme: NIL rate of interest for first 15 days from the due date of payment of tax and 9 per cent for the next 45 days thereafter has been notified for the tax payable for the quarter ending 31st March, 2021.

(ii) Waiver of late fee for specified period after due date for the returns has been provided as follows:

a. For registered persons having aggregate turnover above Rs. 5 Crore:

Late fee waived for 15 days in respect of returns in FORM GSTR-3B furnished beyond the due date for tax periods March, 2021, April, 2021 and May 2021, due in the April 2021, May 2021 and June 2021 respectively;

b. For registered persons having aggregate turnover upto Rs. 5 Crore:

i. i. Late fee waived for 60 days in respect of the returns in FORM GSTR-3B furnished beyond the due date for tax periods March, 2021 (for taxpayers filing monthly returns) due in April 2021.

ii. ii. Late fee waived for 45 days in respect of the returns in FORM GSTR-3B furnished beyond the due date for tax period April, 2021 (for taxpayers filing monthly returns) due in May 2021.

iii. Iii. Late fee waived for 30 days in respect of the returns in FORM GSTR-3B furnished beyond the due date for tax period May, 2021 (for taxpayers filing monthly returns) due in June, 2021.

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

c. For registered persons filing FORM GSTR-3B on quarterly basis, Late fee waived for 60 days beyond the due date for period Jan-March, 2021.

(iii) Extension of due date of filing GSTR-1, IFF, GSTR-4 and ITC-04:

a. Due date of filing FORM GSTR-1 and IFF for the month of April 2021 and May 2021 has been extended by 15 days.
b. Due date of filing FORM GSTR-4 for FY 2020-21 has been extended from 30th April, 2021 to 31st July, 2021 .
c. Due date of furnishing FORM ITC-04 for Jan-March, 2021 quarter has been extended from 25th April, 2021 to 30th June, 2021.

(iv) 5% cap on availment of Input Tax Credit in FORM GSTR-3B in terms of the provision of Rule 36(4) of CGST Rules, 2017 to be made applicable on cumulative basis for period of April, May and June, 2021 in the return for tax period June, 2021 or the quarter ending in June, 2021.

(v) The filing of GSTR-3B and GSTR-1/ IFF by companies using electronic verification code has been enabled for the period from the 27.04.2021 to 31.08.2021.

(vi) Extension in statutory time limits under section 168A of the CGST Act: Time limit for completion of various actions, by any authority or by any person, under the GST Act, which falls during the period from 15th April, 2021 to 29th June, 2021, has been extended up to 30th June, 2021, subject to some exceptions as specified in the notification.

****

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 16
(जिसका उत्तर मंगलवार, 20 जुलाई, 2021/29 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया जाना है)

"कोविड-19 के उपचार हेतु आयकर में छूट दिया जाना"

***16. श्री संजय सेठ:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने करदाताओं को उस धनराशि पर आयकर में छूट देने का निर्णय लिया गया है, जो उन्हें वित्तीय वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्ष में कोविड-19 के उपचार हेतु अपने नियोक्ता अथवा किसी व्यक्ति से प्राप्त हुई थीं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस कार्यवाही के पीछे क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं; और

(ख) क्या सरकार ने कोविड 19 महामारी के प्रभाव के चलते कुछ प्रमुख करों के अनुपालनो की अंतिम तारीखों को भी आगे बढ़ा दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) एवं (ख) : विवरण सदन में पटल पर रख दिया गया है।

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

श्री संजय सेठ द्वारा उठाए गए राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 16 के प्रत्युत्तर में संदर्भित विवरण - "कोविड-19 के उपचार हेतु आयकर में छूट दिया जाना"

(क) जी श्रीमान, सरकार ने करदाताओं को उस धनराशि पर आयकर में छूट देने का निर्णय लिया है, जो उन्हें वित्तीय वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्ष में कोविड-19 के उपचार हेतु अपने नियोक्ता अथवा किसी व्यक्ति से प्राप्त हुई थीं । इस छूट का उद्देश्य उन करदाताओं को राहत प्रदान करना है जो कोविड - 19 के कारण प्रभावित हुए हैं और कोविड-19 के उपचार के खर्च के लिये नियुक्ता से या अन्य किसी व्यक्ति से सहायता ली है ।

(ख) जी श्रीमान, सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण कई प्रमुख प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के तहत कर अनुपालनों पर समय सीमा बढ़ा दी है। इन विस्तारित समयसीमा का विवरण अनुलग्नक में दिया है।

****

अनुलग्नक श्री संजय सेठ द्वारा उठाए गए राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 16 के प्रत्युत्तर में संदर्भित विवरण -" कोविड-19 उपचार पर आयकर छूट" के सम्बंध में

A. प्रत्यक्ष करों के तहत विभिन्न मुख्य कर अनुपालन का विस्तार:

कराधान व अन्य विधि(कतिपय उपबंधों का शिथीलीकरण और संशोधन) अधिनियम 2020 (जिस इसमें इसके पश्चात् टोला के नाम से जाना जाएगा) टोला में वर्णित निर्दिष्ट अधिनियम के हत करदाताओं की आवश्यकताओं के अनुपालन में आसानी के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त विभिन्न अधिसूचनाओ द्वारा अनुपालन की समय सीमा आगे बढ़ाई गई है। विभिन्न परिपत्रों द्वारा भी समय सीमा बढ़ाई गई है। उक्त अधिसूचनाओं/परिपत्रों का तथा टोला का संयुक्त प्रभाव इस प्रकार है:-

i. कराधान कानूनों के तहत अनुपालन तथा सांविधिक कार्यवाई के लिए कई बार समय सीमा बढ़ाई गई । अन्य संबंधित विधान तथा नियह अथवा निर्धारित/जारी अधिसूचनाएं, अधिनियमों के तहत बढ़ाया गया था।

ii. वित्त वर्ष 2019-20 (निर्धारण वर्ष 2020-21 से सुसंगत) के लिए आई टी आर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जनवरी 2021, गैर-कंपनी तथा गैर-संपरिक्षय योग्य मामलों के लिए कर दी गई थी। संपरिक्षय योग्य मामले, कंपनी मामले जिनमें अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार शामिल है ,कि अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 कर दी गई । कर संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि भी बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 से 15 जनवरी, 2021 कर दी गई ।

iii. वित्त वर्ष 2018-19 (निर्धारण वर्ष 2019-20 से सुसंगत) के लिए आई टी आर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 किया गया था।

iv. निर्धारण जिनकी समय बाध्यता 30 सितंबर, 2020 थी उसे बढ़ाकर 30 सितंबर ,2021 किया गया।

v. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 (अधिनियम से संबंधित लंबित विवादों के समाधान के लिए अधिनियमित) के तहत घोषणा दाखिल करने की तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च,2021 कर दी गई। इसके अतिरिक्त किसी अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 अगस्त,2021 कर दिया गया है।

vi. स्वमूल्यांकन कर के भुगतान के मामलों मे जहां करदाताओं के स्वमूल्यांकन कर दायित्व रू. 1 लाख तक था(गैर-संपरीक्षित तथा गैर कंपनी मामले) में तिथि बढ़ाकर 10 जनवरी,2021 तथा 15,फरवरी 2021(उन मामलों में जहां कर-संपरीक्षा अनिवार्य हो तथा कंपनी / अंतराष्ट्रीय संव्यवहार के ममालों में)

vii. आयकर अधिनियम के अध्याय VI कख के तहत विभिन्न निवेश/भुगतान के लिए कटौती के दावे के लिए तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई, 2020 की गई थी।

viii. अधिनियम की धारा 54 से 54 छख के तहत निवेश /निर्माण/खरीद/कटौती के संबंध में पूंजीगत लाभ 20 मार्च, 2020 तथा 29 सितंबर के मध्य तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 कर दी गई थी।

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

ix. अधिनियम की धारा 10 कक के तहत सेज इकाईयों के संचालन के प्रारंभ के लिए कटौती के दावे की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर,2020 किया गया था। उन इकाईयों के लिए जिनके लिए आवश्यक अनुमोदन 31 मार्च ,2020 तक मिलना था।

x. टीडीएस/टीसीएस विवरण प्रस्तुत करने तथा टीडीएस/टीसीएस प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा वित्त वर्ष 2019-20 के संबंध में बढ़ाकर क्रमश: 31 जुलाई तथा 15 अगस्त, 2020 की गई।

xi. प्रत्यक्ष कर तथा बेनामी कानून के तहत विभिन्न अनुपालन एवं प्राधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने अथवा ओदश पारित करने की तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च,2021 किया गया।

xii. पैन को आधार के साथ जोड़ने की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 की दी गई।

xiii. अधिनियम की धारा 10(23ग) ,12कक, 35 तथा 80जी के तहत कतिपय संस्थाओं केक अनुमोदन पंजीकरण/अधिसूचना के लिए नई प्रक्रिया का कार्यान्वयन 01.06.2020 से 01.04.2021तक भिन्न था और आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त, 2021 कर दी गई।

xiv. आयकर नियम 1962(जिसे इसके पश्चात् नियम के रूप में जाना जाएगा) के प्रपत्र 3गघ में जीएसटी तथा गार अनुपालन की रिपोर्टिंग से संबंध में खंड 30(ग) तथा खंड 44 की अनुप्रयोज्यता को बढ़ाकर 31.03.2022 तक कर दिया गया है।

xv. अधिनियम के अध्याय XX 20 के तहत आयुक्त (अपील) के सम्मुख अपील दायर करने की समय सीमा को पहले 01.04.2021 अथवा उसके पश्चात् बढ़ाकर 31.05.2021 तक दाखिल करनी आवश्यक थी या सुसंगत धारा के तहत दिए गए समय के भीतर, जो भी बाद में हो।

xvi. अधिनियम की धारा 144ग के तहत विवाद समाधान पैनल(डीआरपी) के सम्मुख आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा जिसके लिए उस धारा के तहत अंतिम तिथि 1 अप्रैल,2021 या बाद में बढ़ाकर 31 मई,2021 की गई थी , या उस धारा के अंतर्गत दिए गए समय के भीतर, जो भी बाद में हो।

xvii. अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के प्रत्युत्तर में आईटीआर प्रस्तुत करने की समय सीमा जिसके लिए उस नोटिस के अंतर्गत , अंतिम तिथि 01.04.2021 अथवा जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मई,2021 किया गया था या अनुमेय समय के अंतर्गत उक्त नोटिस के तहत जो भी बाद में हो।

xviii. अधिनियम की धारा 139 की उपधारा(4)/उपधारा(5)के तहत मूल्यांकन वर्ष 2021-21 के लिए विलंब से संशोधित विवरणी प्रस्तुत करना जिन्हें आवश्यक रूप से 31.03.2021 दाखिल करेन की अंतिम तिथि थी, को बढ़ाकर 31.05.2021 कर दिया गया।

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

xix. अधिनियम की धारा 194नक के तहत टीडीएस के भुगतान के लिए (अचल संपत्ति का प्रतिफल), धारा 194नख (किराया आय) तथा धारा 194ग(ठेकेदारों का भुगतान) ऐसे कर कटौती पर चालान विवरण दाखिल करने की समय सीमा जिसे आयकर नियम 1962(नियम) के नियम 30 के तहत 30.04.2021 तक प्रस्तुत तथा भुगतान करना आवश्यक था, को बढ़ाकर 31 मई,2021 कर दिया गया।

xx. प्रपत्र 61 में विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा , जिसमें प्रपत्र 60 में प्राप्त घोषणा विवरण(ऐसे व्यक्ति जिसके पास पैन नहीं है और ऐसे संव्यवहार में संलिप्त है जिसमें पैन आवश्यक हो) जिसे 30.04.2021 तक दाखिल करना आवश्यक था, को बढ़ाकर 31.05.2021 किया गया।

xxi. मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय संव्यवहार का विवरण(एसएफटी) प्रस्तुत करने की समय सीमा, जिसे नियमों के नियम 114अ और उसके बाद जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत 31.05.2021 तक दाखिल करना आवश्यक था, को बढ़ाकर 30.06.2021 कर दिया गया।

xxii. नियमों के नियम 114ज के तहत कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा जो पहले 31.05.2021 थी , को बढ़ाकर 30.06.2021 किया गया।

xxiii. प्रपत्र 24ज में टीडीएस/टीसीएस बही समायोजन विवरण मई माह के लिए जिसे नियमों के नियम 30 तथा 31गक के तहत 15.06.2021 तक प्रस्तुत करना था, को बढ़ाकर 30.06.2021 किया गया ।

xxiv. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नियमों के नियम 33 के तहत अनुमोदित अधिवार्षित निधि के ट्रस्टी द्वारा भुगतान किया गया अंशदान से टीडीएस विवरण भिजवाने की समय सीमा जो पहले 31.05.2021थी , को बढ़ाकर 30.06.2021 किया गया।

xxv. वित्त वर्ष 2020-21 (मूल्यांकन वर्ष 2021-22) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि धारा 139 की उपधारा(1) के तहत:

- जो पहले 31.07.2021 थी को बढ़ाकर 30.09.2021 किया गया।
- जो पहले 31.10.2021 थी को बढ़ाकर 30.11.2021 किया गया।
- जो पहले 30.11.2021 थी को बढ़ाकर 31.12.2021 किया गया।

बढ़ाई गई तिथि तक स्वःनिर्धारण कर के भुगतान के लिए परिणामी राहत भी प्रदान की गई, यदि देय धनराशि एक लाख रुपए अथवा उससे कम है।

xxvi. अधिनियम की धारा 139 की उपधारा(4) व (5) क तहत वित्त वर्ष 2020-21 (मूल्यांकन वर्ष 2021-22) के विलंब से संशांधित विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि जो 31.12.2021 थी,को बढाकर 31.03.2022 कर दिया गया है।

xxvii. वित्त वर्ष 2020 के लिए अधिनियम के किसी उपबंध के तहत संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि , जो पहले 30.09.2021 थी, को बदलकर 31.10.2021 कर दिया गया है।

xxviii. अधिनियम की धारा 92अ के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में लेखाकार द्वारा उन व्यक्तियों की रिपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार में संलिप्त है, प्रस्तुत करने की तिथि जो 31.10.2021 थी, को बढ़ाकर 30.11.2021 कर दिया गया है।

xxix. आपत्तियां दाखिल करने की समयावधि डीआरपी और मूल्यांकन अधिकारी के तहत करने के लिए अधिनियम की उक्त धारा 144ग, अंतिम तिथि जिसके लिए 01.06.2021 थी 31.08.2021 के लिए बढ़ा दी गयी है या इसके तहत प्रदान की गई तारीख जो भी बाद में हो।

xxx. टीडीएस प्रस्तुत करने की समय सीमा की अंतिम तिमाही के लिए विवरण वित्तीय वर्ष 2020-21, जो 31.05.2021 तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था के नियम 31 क के तहत बढ़ाकर 15.07.2021 कर दी गई है।

xxxi. टीडीएस प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा प्रपत्र संख्या 16 में प्रमाण पत्र नियमों के नियम 31 के तहत कर्मचारीयों द्वारा किया जाना आवश्यक है जो 15.06.2021 को बढ़ा कर 31.07.2021 कर दिया गया है

xxxii. प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा भुगतान की गई आय या जमा की गई आय का विवरण अपनी इकाई के लिए एक निवेश कोष द्वारा धारक, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र संख्या 64घ में, प्रस्तुत करना आवश्यक था नियम 12गख के तहत 15.06.2021 को बढ़ा कर 15.07.2021 तक बढ़ाया गया था.

xxxiii. अपनी इकाई के लिए एक निवेश कोष द्वारा भुगतान किया गया या जमा किया गया इकाई धारक को प्रपत्र संख्या 64ग में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विवरण दाखिल करने की समय सीमा जो 30.06.2021 थी उसे बढ़ाकर नियम 12गख के तहत बढ़ाकर 31.07.2021 कर दिया गया है।

xxxiv. निवेश के लिए करदाताओं द्वारा,जमा, भुगतान, अधिग्रहण,खरीद, निर्माण आदि के लिए अनुपालन के लिए छूट का दावा करने का उद्देश्य धारा 54 के तहत पूंजीगत लाभ अधिनियम की धारा 54चख, जिसके लिए समय सीमा 01.04.2021 से 29.09.2021 के बीच थी, 30.09.2021 कर दी गयी है।

xxxv. प्रपत्र संख्या 15गग में अधिकृत डीलर द्वारा तीमाही विवरण जो 30.06.2021 की तीमाही को समाप्त हो रहा था, जो प्रस्तुत किया जाना था 15.07.2021 तक नियमों के नियम 37 ख्ब के तहत अब उसकी तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई,2021 कर दी गई है।

xxxvi. प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा समानीकरण लेवी विवरण रूप में प्रपत्र संख्या 1 में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो 30.06.2021 तक दायर किया जाना आवश्यक था से 31.07.2021 तक बढ़ाया गया है।

xxxvii. अधिनियम की धारा 9 क उप-खंड(5) के तहत प्रपत्र संख्या 3गडग में पात्र निवेश निधि वित्तीय वर्ष 2020-21 के जो2 9.06.2021 तक दायर किया जाना आवश्यक था से बढ़ा कर 31.07.2021 कर दिया गया है।

xxxviii. सरकार द्वारा प्राप्त सफलता के बाद विवाद से विश्वास योजना लागू करना टीडीएस की कटौती न करने की घोषणाएं प्रपत्र संख्या 15च/15छ में प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त तिमाही समाप्त होने के दौरान टीडीएस अपलोड करने के लिए समय सीमा 30.06.2021 थी जो 15.07.2021 तक अपलोड किया गया है 31.08.2021 तक विस्तारित कर दिया गया है।

xxxix. विकल्प की प्रक्रिया के लिए समय सीमा दायर लंबित आवेदन वापस लेने के लिए पूर्ववर्ती आयकर से पहले के तहत निपटान आयोग अधिनियम की धारा 245ड की उपधारा (1)प्रपत्र संख्या 34खख में, दाखिल किया जाना 27.06.2021 तक आवश्यक था को बढ़ाकर 31.07.2021 का दिया गया है।.

xl. पेनल्टी ऑर्डर पारित करने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 30.09.2021 कर दी गई है।

xli. नोटिस जारी करने की समय सीमा अधिनियम की धारा 148 के तहत जो द्वारा जारी किया जाना आवश्यक था 31.03.2021 तक को बढ़ा दिया गया है 30.06.2021 तक.

xlii. मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्देश प्रारित करने के डीआरपी से निर्देश प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, के लिए समय सीमा प्राप्त करने की जो 31.03.2021 तक दाखिल किया जाना आवश्यक था को 30.06.2021 तक बढ़ा दिया गया है।

xliii. प्रसंस्करण के लिए समय सीमा समकरण लेवी रिटर्न किया गया है 30.09.2021 तक बढ़ा दिया गया है।

xliv. आदेश पारित करने के लिए समय सीमा और न्याय निर्णयन द्वारा नोटिस जारी करने के निषेध के तहत प्राधिकरण बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम,1988 दाखिल करना जरूरी था 30.06.2021 तक समय सीमा बढ़ाकर 30.09.2021 कर दी गई है।

xlv. परिपत्र प्रभाव के लिए जारी किया गया था कि यदि किसी व्यक्ति ने मान्य प्रस्तुत किया है, तो मामले में बैंकों के लिए 15छ और 15ज प्रपत्र या वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अन्य संस्थान, फिर ये प्रपत्र 15छ और 15ज मान्य होंगे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30 जून, 2020 तक।

B. अप्रत्यक्ष करों के तहत विभिन्न मुख्य कर अनुपालन का विस्तार:
(I) वर्ष 2020 में कोविड़ 19 महामारी के मद्देनजर निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i). संरचनात्मक योजना के संबंध में -
- क) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-4 प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.20 तक बढ़ाई गयी थी।
- ख) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रपत्र सीएमपी-08 में कर भुगतान की तिथि 07.07.2020 तक बढ़ाई गई थी।
- ग) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संरचनात्मक योजना का विकल्प 30.06.2020 तक लिया जा सकता था।

(ii). सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 36 (4) के उपबंधों की शर्तों के अनुसार प्रपत्र जीएसटीआर-3ख में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ पर 10 प्रतिशत कैप पर फरवरी से अगस्त 2020, की अवधि के लिए संचयी आधार पर अनुप्रयोज्य होगा बजाय कि मासिक आधार पर।

(iii). कर दाताओं के लिए यदि आई टी आर निर्दिष्ट अवधि फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 के बाद दाखिल किया हो तो प्रपत्र जीएसटीआर-3ख के प्रस्तुत करने में विलंब होने पर सशर्त विलंब बुक की छूट उन कर दाताओं को जिनका टर्न ओवर 5 करोड़ से अधिक है (फरवरी 2020 से जुलाई 2020 उन करदाताओं के लिए जिनका टर्न ओवर 5 करोड़ तक है)

(iv). इसके अतिरिक्त देय विलंब शुल्क की रकम रू. 500 तक प्रत्येक रिर्टन के लिए फरवरी 2020 से जुलाई 2020 तक की कर अवधि के लिए तय की गई है। यदि ऐसी रिर्टन 30 सितंबर,2020 तक प्रस्तुत की गई हो तो विलंब शुल्क शुन्य होगा , यदि कर देयता जीरो है।

(v). कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज से संबंधित उपाय :-

क. 5 करोड़ रू. से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए वित्त वर्ष से पूर्व प्रपत्र जीएसटीआर-3ख में फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक माह के लिए पहले 15 दिनों के लिए कोई ब्याज नहीं, और अंतिम तिथि के पश्चात तथा 24.06.2020 तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।

ख. 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कर दाताओं के लिए प्रपत्र जी एस टी आर -3ख में वित्त वर्ष से पूर्व फरवरी से जुलाई 20 महीनों के लिए निर्दिष्ट तिथियों तक कोई ब्याज नहीं होगा तथा उसके पश्चात् 30.09.2020 तक प्रति वर्ष 9 प्रतिशत होगा।

(vi). मार्च,2020 से जून, 2020 तथा तिमाही जनवरी से मार्च,2020 और अप्रैल से जून, 2020 तक की अवधि के लिए प्रपत्र जीएसीटीआर-1 के लिए विलंब शुल्क माफ कर दिया गया , यदि ऐसे विवरण निर्दिष्ट तिथियों में प्रस्तुत किए गए।

(vii). प्रपत्र जीएसटीआर-3ख के लिए अंतिम तिथि का विस्तारण

क. समस्त करदाताओं के लिए मई 2020 माह से निर्दिष्ट तिथि के लिए।

ख. उन कर दाताओं के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रू. तक है, अगस्त 2020 माह के लिए।

(viii). सीजीएस टी अधिनियम 2017 में सक्षम धारा 168क का समावेशन सरकार को बल की बड़ी घटना के मामले में अंतिम तिथि बढ़ाने का अधिकार प्रदान के लिए किया गया उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचनाएं जारी की गई। अधिनियम के लगभग समस्त उपबंधों के अनुपालन के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई गई । अधिनियम के लगभग समस्त उपबंधों के लिए , किसी भी कार्यवाई को पूरा होने की समय सीमा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सीजीएसटी अधिनियम के तहत जो कि 20.03.2020 से 30.08.2020 की अवधि के दौरान आता है, को बढ़ाकर 31.08.2020 तक कर दिया गया।

ix. ई-वे बिलों की वैधता, उनके लिए जिसकी अवधि 30.03.2020 से 15.04.2020 के मध्य समाप्त हो रही है, 30.04.2020 तक बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त ई वे बिलों की वैधता उनके लिए जिसकी अवधि 20.03.2020 को या उससे पूर्व समाप्त हो रही है को 30.06.2020 तक बढ़ाई गई थी और 24.03.2020 से पूर्व या को सृजित । ई-वे बिल रोकने का प्रावधान दो या अधिक जीएसटीआर-3ख के दाखिल न करने के लिए 20.03.2020 से 15.10.2020 तक निलंबित किए गए थे।

X. बिक्री अथवा वापसी के अनुमोदन पर भारत के बाहर भेजे जा रहे अथवा-मंगाये जा रहे माल के संबंध में किसी कार्यवाही को पूरा करने अथवा अनुपालन के लिए समय सीमा को 31.10.2020 तक बढ़ा दिया गया जिसके लिए ऐसा अनुपानल 20.03.2020 तक की अवधि के दौरान हो रहा था।

XI. धारा 171(एन ए पी ए प्रावधान) जिसके लिए ऐसा अनुपालन 20.03.2020 में 30.03.2021 की अवधि के दौरान आता है, के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही को पूरा करने अथवा अनुपालन करने की समय-सीमा 31.03.2021 तक बढ़ा दी गई।

XII. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बदले इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से विवरणों (जीएसटीआर-3ख) को सत्यापति करने की सुविधा कंपनी अधिनिमय 2013 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों के सम्बन्ध में 31.04.2020 से 30.09.2020 तक की अवधि के दौरान प्रदान की गई थी। इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक

सत्यापन कोड(ई वी सी) के जरिए सत्यापित जावक आपूर्ति का विवरण(प्रपत्र जीएसटीआर-1) को 27.05.2020 से 30.09.2020 तक की अवधि के दौरान फाइल कर सकते थे।

(II) वर्ष 2021 में कोविड-19 महीमारी की दूसरी लहर के फैलाव को देखते हुए निम्नलिखित उपाय किए गए थेः-

(i) विलम्ब से किए गए कर भुगतानों के लिए 18% प्रतिवर्ष के ब्याज की सामान्य दर के बदले ब्याज की रियायती दरें निम्नवत विहित की गई हैः-

क. 5 करोड़ रूपए से अधिक के कुल टर्नऔवर वाले पंजीककरृत व्यक्तियों के लिएः कर की अदायगी की तिथि से प्रथव 15 दजनों के लिए 9% के ब्याज तथा तत्पश्चात मार्च 2021, अप्रैल 2021 तथा मई 2021 तथा जून 2021 में संदेय कर लिए 18% की निम्न दर अदिसूचित की गई है।

ख. 5 करोड़ रूपए तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों (सामान्य कर दाताओं तथा क्यूआरएमपी स्कीम के अन्तर्गत दाताओं दोनों के लिए):

i. कर भुगतान की नियत तिथि से प्रथम 15 दिनों के लिए ब्याज की शून्य दर, अगले 45 दनों के लए 9% तथा उसके पश्चात् मार्च 2021 की अवधि के लिए संदेय कर के लिए 18% की दर अधिसूचित की गई है।

ii. कर भुगतान की नियत तिथि से प्रथम 15 दिनों के लिए ब्याज की शून्य दर अगले 30 दिनों तक 9 प्रतिशत, तथा उसके पस्चात अप्रैल 2021 की समयावधि के लिए संदेय कर के लिए 18% की दर अधिसूचित की गई है।

iii. कर भुगतान की नियत तिथि से प्रथम 15 दिनों के लिए 9%, तथा उसके पश्चात् मई 2021 की समयावधि के लिए 18% की दर अधिसूचित की गई है।

ग. संघटन योजना के अन्तर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प देने वालें पजीकृत व्यक्तियों के लिए 31 मार्च 2021 समाप्त होने वाली तिमाही के लिए संदेय कर हेतु कर के भुगतान की तिथि से पहले 15 दिनों के लिए ब्याज की शून्य दर तथा उसके पश्चात् अगले 45 दिनों के लिए 9% की दर अधिसूचित की गई है।

(ii) रिटर्न के लिए निर्धारित तिथि के बाद निर्दिष्ट समयावदि के लिए विलम्ब शुल्क की मापी निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई गई है-

क. पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जिनका कुल टर्न ओवर 5 करोड़ से उपर होः

प्रपत्र जीएसटीआर-3ख में नियत समय सीमा के बाद भरे गए रिटर्न के लिए जो क्रमशः मार्च 2021, अप्रैल 2021, मई 2021 एवं जून 2021 में भरे जाने थे के लिए विलम्ब शुल्क 15 दनों के लिए माफऱ कर दिया गया है।

ख. पंजीकृत व्यक्ति जिनका कुल टर्न-ओवर 5 करोड़ रूपये तक हैः

i. प्रपत्र जीएसटीआर-3ख में भरे गए रिटर्न जो मार्च 2021 की कर अवधि के लिए अप्रैल 2021 ती नियत तिथि के बाद भरे गए(जो कर दाता मासिक विवरणी फाइल करते हैं) के लिए विलम्ब शुल्क 60 दिनों के लिए माफ कर दिया गया।

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

ii. प्रपत्र जीएसटीआर-3ख में भरे गए रिटर्न जो अप्रैल 2021 की करावधि के लिए मई 2021 की तिथि के बाद पाइल किए गए (मासिक विवरणी फाइल करने वाले करदाताओं के लिए) के लिए विलम्ब शुल्क 45 दिन के लिए माफ कर दिया गया।

iii. प्रपत्र जीएसटीआर- 3ख में भरे गए रिटर्न जो मई, 2021 की करावधि के लिए, जून 2021 की नियत तिथि के बाद दाखिल किए गए(मासिक विवरणी फाइल करने वाले कर दाताओं के लिए) के लिए विलम्ब शुल्क 30 दिन के लिए माफ कर दिया गया।

ख. जो पंजीकृत व्यक्ति प्रपत्र जीएसटीआर-3ख को त्रैमसिक आधार पर दाखिल करते हैं के लिए जनवरी-मार्च 2021 की समायावधि के लिए नियत तिथि के बाद 60 दिन का विलम्ब शुल्क माफ कर दिया गया है।

iii. जीएसटीआर-1, 1एफएफ, जीसटीआर-4 एवं आईटीसी-04 को दाखिल करने की नियत तारीख में विस्तारः

क. अप्रैल 2021 एवं मई 2021 माह के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-1 एवं आईएफएफ फाइल करने की नियत तथि को 15 दिन के लिए बढा दिया गया है।

ख. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-4 को फाइल करने की नियत तिथि में विस्तार देकर 30 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है।

ग. जनवरी-मार्च 2021 प्रपत्र आईटीसी-04 को भरने की नियत तिथि को 25 अप्रैल 2021 से विस्तार देकर 30 जन 2021 कर दिया गया है।

iv. प्रपत्र जीएसटीआर-3ख में निविष्ट कर का लाभ उठाने के लए 5% सीमा को जीएसटी नियम 2017 के नियम 36(4) के प्रावधानों को शर्तों के अनुसार अप्रैल मई एवं जून 2021 की समयावधि के लिए जून 2021 के कर विवरणी में अतवा जून 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए संचयी आधार पर लागू किया जायेगा।

v. जीएसटीआर-3ख एवं जीएसटीआर-1/आईएफएफ को कम्पनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड को प्रयोग कर दाखिल करने की क्रिया को 27.04.2021 से 30.08.2021 तक की समयावधि के लिए सक्षम बनाया गया है।

vi. जीएसटीआर अधिनियम की धारा 168क के अंतर्गत वैधानिक समय सीमा में विस्तारः जीएसटी अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने की समय सीमा जो 15 अप्रैल 2021 से 29 जून 2021 की समयावधि के बीच पड़ती है को 30 जून 2021 तक विस्तार दिया गया है जो अधिसूचना मे निर्दिष्ट कुछ अपवादों के विषयगत रहेगी।

****